पटना में दिनांक–09 सितम्बर, 2025 मंगलवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

उद्योग विभाग

1. मुंगेर जिला अन्तर्गत अंचल–असरगंज के विभिन्न मौजो मे समेकित कुल रकवा–466.4917 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रू० 1,24,62,50,175.00 (रूपये एक अरब चौबीस करोड़ बासठ लाख पचास हजार एक सौ पचहत्तर रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

1. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

2. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पदाधिकारियों/कर्मियों के प्रशिक्षण/दक्षता उन्मुखीकरण हेतु बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना (Bihar Institute of Grain Storage Management and Training, Patna-BIGSMT) की स्थापना एवं प्रशासनिक संरचना का गठन, ₹4,64,94,396 (चार करोड़ चौसठ लाख चौरानवे हजार तीन सौ छियानवे रूपये) मात्र के वार्षिक व्यय पर पदों की स्वीकृति तथा एन०ए०बी०एल० (NABL) मानक के राज्य स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना की स्वीकृति के संबंध में।

2. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

3. बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के राज्य स्तर पर कार्यालय जीविका मुख्यालय भवन, पटना के निर्माण एवं इस हेतु अनुमानित व्यय रू० 7366.15 लाख (तिहत्तर करोड़ छियासठ लाख पन्द्रह हजार) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

3. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

4. जहानाबाद जिलांतर्गत सिंचाई प्रमंडल, उदेरास्थान के अधीन उदेरास्थान बराज का निर्माण एवं पूर्व निर्मित उदेरास्थान वीयर योजना के नहर प्रणालियों के आधुनिकीकरण कार्य में आर्बिट्रेशन संख्या–21/2023 (विजेता प्रोजेक्ट्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रॉची, झारखण्ड बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक 20.03.2025 को पारित अवार्ड के विरूद्ध अपील दायर करने के क्रम में विद्वान महाधिवक्ता, बिहार द्वारा प्रदत्त मंतव्य के उपरान्त दिनांक 20.05.2025 को संवेदक से निगोशिएशन हेतु संपन्न बैठक की कार्यवाही में लिये गये निर्णय के आलोक में, पुनरीक्षित राशि ₹65113.00 लाख (छः सौ इकावन करोड़ तेरह लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

4. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

5. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के नगर निकायों के बकाये विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत कुल राशि ₹400.00 करोड़ (चार सौ करोड़ रू०) मात्र की अग्रिम राशि प्राप्त करने एवं उसकी प्रतिपूर्ति द्वितीय अनुपूरक आगणन से करने की स्वीकृति के संबंध में। **5. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

6. विभाग अंतर्गत विभिन्न योजनाओं एवं कार्यो के कार्यान्वयन के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5808 दिनांक–26.11.2015 एवं संकल्प ज्ञापांक–2018 दिनांक–15.03.2024 को संशोधित करते हुए भू–अर्जन/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक–1440 दिनांक–13.11.2014 के आलोक में रैयतों से बिहार रैयती भूमि लीज नीति के आधार पर सतत् लीज पर लेने की स्वीकृति के संबंध में। **6. स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

7. ''मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना'' के तहत राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप का निर्माण कराये जाने हेतु राज्य योजना मद में बिहार आकस्मिकता निधि से कुल ₹50.00 करोड़ (पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि की अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। **7. स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

8. पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बकाया विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु राज्य योजना मद में बिहार आकस्मिकता निधि से कुल ₹594.56 (पाँच अरब चौरानवें करोड़ छप्पन लाख रूपये) मात्र की राशि का अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। **8. स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

9. वित्तीय वर्ष 2025–26 में ''मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना'' के तहत निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूर्ण किये जाने हेतु राज्य योजना मद में बिहार आकस्मिकता निधि से कुल ₹100.00 करोड़ (एक अरब रूपये) मात्र की राशि की अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। **9. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

10. मुख्यमंत्री फेलोशिप (Fellowship) योजना की स्वीकृति के संबंध में। **10. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

11. ''बिहार नगरपालिका योजना सेवा नियमावली, 2025'' की स्वीकृति के संबंध में। **11. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

12. वित्त विभागीय संकल्प सं०–8044, दिनांक–11.10.2017 द्वारा राज्य के सरकारी कर्मियों को अनुमान्य यात्रा भत्ता के वर्त्तमान दरों एवं यात्रा अनुमान्यता में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। **12. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

13. बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय को वित्तीय वर्ष 2025–26 में 30 मार्च, 2026 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर ₹31,689.50 करोड़ (इक्कतीस हजार छह सौ नवासी करोड़ पचास लाख रूपये) करने के संबंध में। **13. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

14. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु राजस्व कर्मचारी के 3303 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति के संबंध में। **14. स्वीकृत।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(मत्स्य)

15. बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा–भर्ती (संशोधन) नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। **15. स्वीकृत।**

गन्ना उद्योग विभाग

16. ''गन्ना उद्योग विभाग में बिहार ईख पर्यवेक्षक संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2025 की स्वीकृति के संबंध में। **16. स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

17. राज्य के सभी प्रखण्डों में जीविका समूहों के माध्यम से बेसहारा गोवंशीय पशुओं के संरक्षण एवं समुचित प्रबंधन हेतु ''बिहार जीविका गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना'' लागू करने की स्वीकृति के संबंध में। **17. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

18. ईशा फाउण्डेशन, कोयम्बटूर के द्वारा राज्य के छः शहरों यथा–पटना, गयाजी, छपरा, सहरसा, भागलपुर एवं बेगूसराय में गैस (एल०पी०जी०) आधारित शवदाह गृह की स्थापना एवं संचालन तथा उक्त क्रम में इन शहरों में एक–एक एकड़ भूमि ईशा फाउण्डेशन, कोयम्बटूर को 1 (एक) रूपये की टोकन राशि पर 33 वर्षों की अवधि के लिए लीज के माध्यम से आवंटित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में। **18. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

19. ''बिहार नगरपालिका विधि सेवा नियमावली, 2025'' की स्वीकृति के संबंध में। **19. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

21. बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 के नियम 4 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। **21. स्वीकृत।**

गृह विभाग

(कारा)

22. 'बिहार कारा परिधापक संवर्ग नियमावली, 2010' एवं 'बिहार कारा परिधापक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2019' को निरसित करते हुए स्वास्थ्य विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के सुसंगत प्रावधानों को समाहित कर 'कारा एवं सुधार सेवाएँ, परिधापक संवर्ग नियमावली, 2025' के गठन की स्वीकृति के संबंध में। **22. स्वीकृत।**

गृह विभाग

(कारा)

23. 'बिहार कारा मिश्रक संवर्ग नियमावली, 2008' एवं 'बिहार कारा मिश्रक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2019' को निरसित करते हुए स्वास्थ्य विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के सुसंगत प्रावधानों को समाहित कर 'कारा एवं सुधार सेवाएँ, फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली, 2025' के गठन की स्वीकृति के संबंध में। **23. स्वीकृत।**

गृह विभाग

24. राज्य के पुलिस थाना सर्विलांस परियोजना (प्रथम एवं द्वितीय चरण) के पूर्ण होने के पश्चात् CCTV कैमरा के आगामी वार्षिक रख–रखाव, 176 नये थानों में CCTV कैमरा का अधिष्ठापन एवं Deshboard निर्माण तथा भविष्य में नये थानों की सृजन की संभावना के मद्देनजर प्रति थाना CCTV कैमरा लगाने हेतु कुल प्राक्कलित राशि (कर एवं निगम मार्जिन सहित) ₹280,60,79,716 (दो सौ अस्सी करोड़ साठ लाख उनासी हजार सात सौ सोलह रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू एवं अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में करने के संबंध में। **24. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

25. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत बेंचमार्क दिव्यांगजनों को प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था में अन्तर्गत वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने के संबंध में। **25. स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

(आई०सी०डी०एस० निदेशालय)

26. समेकित बाल विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य में आँगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आँगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को प्रतिमाह देय मानदेय की राशि क्रमशः रू० 7000/–(सात हजार) एवं रू० 4000/–(चार हजार) को दिनांक–01.10.2025 के प्रभाव से वृद्धि करते हुए क्रमशः रू० 9000/–(नौ हजार) एवं रू० 4500/–(चार हजार पाँच सौ) प्रतिमाह निर्धारित करने एवं इसके निमित्त राज्य योजना मद से प्रति वर्ष रू० 3,45,19,20,000 (तीन सौ पैतालिस करोड़ उन्नीस लाख बीस हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।

26. इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि यह वृद्धि दिनांक–01.09.2025 से प्रभावी होगी।